संसाधन पुस्तिका

आदि द्वारा विकसित

सौजन्य से

प्रस्तावना

इस संसाधन पुस्तिका के माध्यम से बल्लभगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण वासियों , विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में कुछ ही मुख्य क्षेत्रों व विभागों से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा यह अगस्त व सितम्बर माह 2016 में एकत्रित जानकारियों के आधार पर बनी है । अतः समय के साथ कुछ जानकारी आगे परिवर्तित होगी तथा कुछ नई जानकारी व विभाग इस पुस्तिका में जुड़ते चले जायेंगे ।

आशा है इस पुस्तिका के अन्दर एकत्रित की हुई जानकारी से समुदाय के लोगों को लाभ पहॅंचेगा ।

नागरिकता व पहचान

1.नागरिकता व पहचान

देश में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक है तथा सभी सवैंधानिक अधिकारों का हकदार है । नागरिकता व्यक्ति को देश के विकास में भागीदारी का अधिकार देती है । इसका अभिप्राय यह है कि देश का प्रत्येक नागरिक देश के सभी सवैंधानिक कानून, नियमों ,सेवाओं व सुविधाओं का लाभ उठाने का हकदार है तथा सभी कानून व नियमों के पालन व साथ ही अपने व अपने समुदाय के नागरिकों के विकास के लिए उत्तरदायी भी है । देश का विकास ,नागरिकों की सोच , विचाराधारा , उचित भागीदारी पर निर्भर करता है, इसलिए देश की सरकार लगातार देश के प्रत्येक बच्चे, व्यक्ति, महिला, विकलांग व्यक्ति को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए प्रयत्नशील है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार, प्रत्येक नागरिक की पहचान व भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है।

1.1 आधार कार्ड बनवाने हेतु जानकारी

योजना क्या है ?

सरकार के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय पहचान नम्बर दिया जा रहा है जो कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास होना अनिवार्य है । जिसके द्वारा सरकार के द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं व छूट का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके तथा कोई व्यक्ति उसका दुरूपयोग भी ना कर सके ।

प्रक्रिया

ग्राम स्तर पर

ई–दिशा केन्द्र हर गॉव में या नजदीकी गॉव में खुले हैं जहॉ आधार कार्ड बनवाये जाते हैं तथा अन्य योजनाओं के फॉर्म ऑन लाईन भरे जाते हैं यदि यहॉ समस्या का समाधान नही होता है तो ब्लॉक स्तर पर सम्पर्क कर सकते हैं जिसका पता निम्नलिखित है :

ई–दिशा केन्द्र, पंचायत भवन,
बल्लभगढ , फरीदाबाद
समय : 3 से 4 बजे
सुविधायें : लाइसेन्स , आधार कार्ड , आर.सी.

यदि यहॉ समस्या का समाधान नही होता है तो जिला स्तर पर सम्पर्क कर सकते हैं जिसका पता निम्नलिखित है :

कमरा न. 11, लघु सचिवालय,
सैक्टर–12 ,कोर्ट , फरीदाबाद
समय : प्रातः 9 ये 4 बजे

इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यालयों में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है :

- कोई भी दो पहचान साक्ष्य प्रमाण
- जिन बच्चों का राशन कार्ड में नाम नही है उनके माता–पिता के साक्ष्य प्रमाण मान्य होगें

1.2 जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र

ग्राम स्तर पर ऑगनवाडी कार्यकÙा ,आशा कार्यकÙा व पी.एच.सी कार्यकÙा जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करते हैं। सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से भी सम्पर्क किया जा सकता है। यदि यहॉ समस्या का समाधान नही होता है तो उच्च स्तर पर सम्पर्क कर सकते हैं जिसका पता निम्नलिखित है :

पुरानी बिल्डिंग , कमरा न. 8,
बादशाह खान अस्पताल ,फरीदाबाद

1.3 वोटर पहचान पत्र बनवाने हेतु जानकारी

योजना क्या है ?

भारत विश्व का सबसे बडा लोकतंत्र है, जिसमें 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, रंग या किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति हों, उन्हें मतदान करने का संवैधानिक अधिकार है। देश में मतदान को निष्पक्षता व शांति से करवाने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है । निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम व मतदान करने का पहचान पत्र होने की अनिवार्यता रखी गई है। मतदाता सूची मे नाम दर्ज करवाने, हटवाने व दर्ज प्रविष्टियों को सही करवाने के लिए समय–समय पर मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण होता रहता है।

मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, हटवाने व दर्ज प्रविष्टियों को सही करवाने की प्रकिया

ग्राम स्तर पर

हर गॉव में बूथ लेवल अधिकारी है जो कि आशा व ऑगनवाडी कार्यकÙा है । वे घर–घर में जाकर मतदाता सूची सम्बन्धी कार्य करती हैं, अतः जब यह कार्य चल रहा हो तो उन से भी मिल सकते हैं । ई–दिशा केन्द्र पर जाकर भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं या हटवा सकते हैं।

यदि यहॉ समस्या का समाधान नही होता है तो जिला स्तर पर सम्पर्क कर सकते हैं जिसका पता निम्नलिखित है :

कमरा न. 613, छठी मंजिल,
लघु सचिवालय ,सैक्टर– 12 , फरीदाबाद ।

2. खुला दरबार कार्यक्रम

खुला दरबार वह प्रक्रिया है जिसमें जिलाधिकारी/जिला उपायुक्त (D.C) किसी भी एक गॉव में जाकर, किसी एक सार्वजनिक स्थान पर, लोगों को एकत्रित करके खुले तौर पर उनकी समस्याओं को सुनते हैं । इसे रात्रि प्रवास के नाम से भी जानते हैं। यह एक कैम्प के समान अयोजित किया जाता है, जिसमें बहुत से विभाग के लोग अपने–अपने स्टॉल लगाते हैं । जिस गॉव में खुला दरबार लगाया जाता है उसी दिन वहीं पर अगले गॉव में लगने वाले खुले दरबार की जानकारी ,गॉव का नाम व तारीख बता दी जाती है। इसके बाद उस गॉव के सरपंच को बता दिया जाता है ,सरपंच सारे गॉव में मुनादी करवाता है।

रात्रि प्रवास के मुख्य लाभ

1 ड्राईविंग लाईसेन्स बनवाने हेतु
2 बुढ़ापा पेन्शन बनवाने हेतु
3 लैड लाईट वितरण
4 निःशुल्क शारीरिक चैक–अप
5 जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु
6 कृषि सम्बन्धित जानकारी
7 बिजली सम्बन्धित समस्याओं का निपटान
8 शिक्षा से सम्बन्धित जानकारी
9 तहसील से सम्बन्धित समस्याओं का निपटान
10 रोजगार सम्बन्धित जानकारी
11 पुलिस सम्बन्धित समस्याओं का निपटान
12 बैंको से सम्बन्धित समस्याओं का निपटान
13 लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित समस्याओ का निपटान
14 राशन कार्ड से सम्बन्धित समस्याओं का निपटान
15 आधारकार्ड बनना
16 जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित
17 ऑगनवाड़ी से सम्बन्धित
18 डोमीसाइल बनवाने के लिए

अधिकारी जो रात्रि प्रवास में उपस्थित होते हैं :

1 पुलिस आयुक्त , फरीदाबाद
2 अतिरिक्त उपायुक्त , फरीदाबाद

3 उपमण्डल अधिकारी, बल्लभगढ़
4 जिला विकास एव पंचायत अधिकारी ,फरीदाबाद
5 जिला राजस्व अधिकारी ,फरीदाबाद
6 महाप्रबन्धक हरियाणा रोडवेज
7 कार्यकारी अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग , फरीदाबाद
8 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ,बल्लभगढ़
9 सिविल सर्जन , फरीदाबाद
10 उप –निदेशक पशुपालन विभाग ,फरीदाबाद
11 जिला आर्युवेदिक अधिकारी , फरीदाबाद
12 जिला कल्याण अधिकारी ,फरीदाबाद
13 सचिव , सैनिक बोर्ड , फरीदाबाद
14 सचिव , जिला रैड क्रास सोसायटी ,फरीदाबाद
15 जिलाखाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक विभाग , फरीदाबाद
16 कार्यक्रम अधिकारी , PWD (B&R) ,फरीदाबाद
17 कार्यकारी अभियन्ता ,सिचाई विभाग , फरीदाबाद
18 कार्यकारी अभियन्ता , DHBVN , फरीदाबाद
19 जिला प्रबंधक हरियाणा महिला एवं आर्थिक कमजोर कल्याण निगम
20 जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी , फरीदाबाद
21 जिला बाल विकास एवं कल्याण अधिकारी , फरीदाबाद
22 बाल संरक्षण अधिकारी ,फरीदाबाद
23 जिला रोजगार विभाग , फरीदाबाद
24 प्रधानाचार्य , आई.आई.टी फरीदाबाद
25 जिला सूचना अधिकारी , फरीदाबाद
26 जिला उद्यान अधिकारी , फरीदाबाद
27 सचिव , मार्केट कमेटी , बल्लभगढ़
28 सहायक रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसायटी , फरीदाबाद
29 एल.डी.एम. लीड बैंक , फरीदाबाद
30 प्रोजेक्ट समन्वयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
31 प्रबंध निदेशक, सहकारी बैंक फरीदाबाद

इन सभी विभागो से सम्बन्धित सभी कार्य खुला दरबार में होते हैं तथा इन विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं ।

जिला उपायुक्त से उनके कार्यालय में प्रतिदिन मिलने का समय : प्रातः 11 से 12 बजे

जिला उपायुक्त,
प्रथम मंजिल ,कमरा न. 109 के साथ वाला,
लघु सचिवालय,
सैक्टर– 12 कोर्ट , फरीदाबाद,
फोन. 9813067900

श्री अमित (पी.ओ.)
फोन 0129 2227936 , 2226604

जिला उपायुक्त खुला दरबार वाले दिन कार्यालय में नहीं मिलते हैं।

2. सी.एम विंडो

योजना क्या है ?

सी.एम विंडो एक ऐसी खिडकी है, जिसमें आप किसी भी विभाग की शिकायत एक लिखित पत्र द्वारा कर सकते हैं । इसका जवाब 7 दिन के अन्दर विभाग को देना होता है।

प्रक्रिया

इसके अर्न्तगत् ,विंडो पर बैठे व्यक्ति को एक लिखित शिकायत पत्र देना होगा वो अपने आप कम्पयूटर के द्वारा शिकायत उस विभाग को भेजेगा । जो भी कार्यावाही हुई है इसकी जानकारी शिकायतकÙा को उसके द्वारा दिये गये सम्पर्क नम्बर पर दी जाती है । इस खिडकी का पता है :

सी.एम विंडो,
ई–दिशा केन्द्र, पहली खिड़की,
लघु सचिवालय ,सैक्टर–12 ,कोर्ट , फरीदाबाद

संदर्भ सूची

लघु सचिवालय ,सैक्टर–12 ,कोर्ट , फरीदाबाद